न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, गाजियाबाद।

पीठासीन अधिकारीः– गौरव शर्मा(एच.जे.एस.)
J.O CODE– UP 6276
फौजदारी विविध वाद सं० – 547/2025
कम्पयूटर पंजीयन सं०– 941/2025

मनोज कुमार तंवर पुत्र बालकिशन, निवासी– डब्लू जैड 462 ए रमेश नगर, बसई दारापुर, नई दिल्ली।
..... अपीलार्थी

बनाम

1– मेधावनी सिंह पुत्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी– टी 3, 652/1 वसुन्धरा, गाजियाबाद, थाना– इन्द्रापुरम, जिला गाजियाबाद।

2– उ० प्र० सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), गाजियाबाद।
.....विपक्षी/उत्तरदातागण

दिनांक 11–03–2026

1. पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई।
2. अपीलार्थी की तरफ से धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ प्राप्त करने हेतु 3 ख प्रार्थना पत्र समर्थित शपथ पत्र 4 ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा क्रिमिनल अपील विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/त्वरित न्यायालय(महिलाओं के विरूद्ध अपराध), गाजियाबाद द्वारा वाद संख्या–15482/2020 मेधावनी सिंह बनाम मनोज कुमार तंवर आदि में अ० धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, थाना–इन्द्रापुरम, जिला गाजियाबाद में पारित तलबी आदेश दिनांक 14.07.2025 को निरस्त कराये जाने हेतु योजित किया है। उक्त अपील योजित किये जाने में सात दिन का विलंब है। जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि दि० 11.08.2025 को माननीय जिला जज साहब की हृदयघात से मृत्यु हो जाने के कारण तथा दि० 13.08.2025 को शोक सभा होने का कारण बार का प्रस्ताव हो गया, चूंकि अपीलार्थी केन्द्र सरकार का कर्मचारी होने के कारण दि० 14.08.2025 की छुट्टी रद्द हो गई तथा दि० 15.08.2025 को स्वतंत्र दिवस आ गया तथा दि० 16.08.2025 को रक्षा बन्धन हो गया और दि० 17.08.2025 को रविवार का अवकाश हो गया,जिसके उपरांत दि० 18.08.2025 से अपीलार्थी को वायरल बुखार हो जाने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया तब 20.08.2025 को अपने अधिवक्ता के द्वारा अपनी अपील तैयार कर शपथपत्र तैयार कराये गये है जिसके कारण उक्त अपील में देरी हो गई।प्रार्थी/अपीलकर्ता ने जानबूझकर उक्त अपील को योजित करने में कोई भूल/लापरवाही नहीं की है, जो भी देरी हुई है वह उपरोक्त कारणवश हुई हो क्षमा होने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता को धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए अपील को समय अवधि में स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त कारणों के आधार पर उक्त निगरानी योजित करने में हुई देरी को माफ किये जाने की प्रार्थना की गई।
3. विपक्षी/उत्तरदातागण संख्या–1 की ओर से प्रार्थना पत्र के विरूद्ध लिखित आपत्ति(कागज सं०–14 ख) प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलार्थी ने विलंब की क्षमा मांगने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के तहत यह आवेदन दायर किया है, जो पूरी तरह से गलत है और खारिज किये जाने योग्य है। अपील समय सीमा के कारण खारिज हो जाती है और देरी अस्पष्ट और जानबूझकर की गई है, जिसका कोई कारण बताने में अपीलार्थी विफल रहे है। विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि परिसीमा अवधि को अधिकार के रूप में माफ नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता मजिस्ट्रेट न्यायालय, गाजियाबाद के समक्ष लंबित अन्य मामलों में उपस्थित थे लेकिन वे एफ०टी०सी(जू०डि०) 1st, गाजियाबाद के समक्ष मामले को अनावश्यक रूप से लंबित करना चाहते है।
4. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।
5. उक्त वाद प्रार्थी/अपीलकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 14.07.2025 के विरुद्ध योजित किया गया है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि फौजदारी अपील समयावधि 30 दिनों में योजित की जानी चाहिए, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त अपील दिनांक 21.08.2025 को योजित की गयी है जो लगभग 07 दिन की देरी से है। जिसका कारण प्रार्थी ने कचहरी में कार्य संचालित न होने के संबंध में होना बताया है। कोई भी आदेश जिसके विरुद्ध अपील योजित की जानी है मात्र समय अवधि से बाधित होने के आधार पर उसे न सुना

जाये, यह न्यायोचित नहीं होगा। जहाँ तक देरी का प्रश्न है तो प्रार्थी/अपीलकर्ता ने इसका कारण कार्य संचालन न होना बताया है। अपीलकर्ता द्वारा अपील योजित करने में देरी जान–बूझकर नहीं की गई है, अपितु कार्य संचालन न होने के कारण हुई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधिक सिद्धांत जो एन० बालाकृष्णन बनाम एम० कृष्णामूर्ति ए०आई०आर० 1988 एस०सी० 3222 में प्रतिपादित किया है कि "न्यायालय को धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय स्वयं को उस पक्षकार के रूप में रखकर देखना चाहिये जिसने विलम्ब की क्षमा की याचना की है जिससे कि वह उसका पक्ष सही तरीके से समझ सके।" माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को देरी माफी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय तकनीकी रुख नहीं बल्कि उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। प्राकृतिक न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी मामले का निस्तारण उसके पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के उपरांत गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों आदि के दृष्टिगत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का.स. 3 ख 6,000/– रू० हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अपीलकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम (कागज संख्या 3 ख) 6,000/– रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, जो विपक्षीगण को देय होगा। हर्जा अन्दर 07 दिन जमा हो। तत्पश्चात् फौजदारी अपील वाद के अंगीकरण के प्रश्न पर अपीलार्थी माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के न्यायालय में दिनांक 25.03.2026 को उपस्थित हों । कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि पत्रावली को माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के न्यायालय में यथाशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(गौरव शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2,
गाजियाबाद।